

UG-20755
TERM END EXAMINATION – 2020
B.Com. FINAL YEAR (OLD)
ACCOUNTS

नोट : समय – विश्वविद्यालय समय सारणी के अनुसार।
सभी प्रश्न अनवार्य हैं। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।
प्रत्येक खण्ड (पार्ट) के उत्तर अलग-अलग उत्तर पुस्तिकाओं में लिखें।

Note : Time – According to University Timing.
All questions are compulsory. All questions carry equal marks.
Write the answers of each Section (Part) in separate answer sheets.

(PART – A)
Income Tax

[Maximum Marks: 75]

1. आयकर-अधिनियम के अनुसार एक व्यक्ति के निवासी होने के लिए कौन-सी शर्तें हैं? इस अधिनियम के अंतर्गत कौन "निवासी" किंतु "असाधारण-निवासी" हो सकता है? उदाहरण सहित समझाइए।
What are the conditions for an individual to become a resident under the Income-Tax Act? Who can be resident but not ordinary resident under this Act? Explain with example.
2. "मकान-सम्पत्ति" के "वार्षिक-मूल्य" से आप क्या समझते हैं? ऐसे मकान का "वार्षिक-मूल्य" आप किस प्रकार निर्धारित करेंगे जो गत-वर्ष में कुछ अवधि के लिए खाली रहा हो?
What do you mean by the term "Annual Value" of "House-property"? How would you determine the annual value of a house-property which remained vacant for some part of the previous year?
3. "कर-नियोजन" से आप क्या समझते हैं? कर-नियोजन के उद्देश्यों एवं क्षेत्र का वर्णन कीजिए।
What do you understand by "Tax-Planning"? Describe the objectives and scope of Tax-Planning.

(PART – B)
Indirect Tax

[Maximum Marks: 75]

1. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अंतर्गत 'माल' एवं 'निर्माण' को समझाइए एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की दो आधारभूत शर्तें बताइए।

Write in short the types of Central Excise Duty. Explain “Goods” and “Manufacture” under Central Excise Duty and discuss two basic conditions of Central Excise Duty.

2. आयतित-माल के सीमा-शुल्क मूल्यांकन हेतु 'संव्यवहार-मूल्य' की गणना किस प्रकार की जाती है? सविस्तार वर्णन कीजिए।

For Customs Duty valuation of imported goods, how “Transaction-value” is calculated? Describe in detail.

3. मध्यप्रदेश वाणिज्य कर अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत 'कर के भुगतान एवं वसूली' से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख कीजिए।

State the provisions of Madhya Pradesh Commercial Tax Act and rules with regard to 'Payment and Recovery of Tax'.

.....XX.....